

प्रति,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
इंजीनियरिंग मण्डल इंदौर।

इसमें है

संबंध

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
नई दिल्ली।

पत्रांक: एन.सी.ई.आर.डी., 2571-98 / 2009-10 दिनांक- 13-8-2009

विषय: इंडियन बॉय स्कूल, कर्जी रोड, अतर्रा, बदायूं के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

आज्ञा है कि- आपके द्वारा आपका ध्यान अर्पित किया हुआ है कि उक्त बच्चे सरकारी स्कूल केंद्र, एन.सी.ई.आर.डी. / 15-7-09-1(299) / 2007 दिनांक-14.07.2009 द्वारा प्रदेश शिक्षा निदेशक, इंदौर तथा आइ.टी.एस.आई. बर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलस्तरीय स्तर पर प्रेषित करके ज्ञात होने पर उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देना अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने के लिए उक्त बच्चे के माता-पिता को उक्त बच्चे के संबंधित शिक्षा अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया। उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने के लिए उक्त बच्चे के माता-पिता को उक्त बच्चे के संबंधित शिक्षा अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया। उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने के लिए उक्त बच्चे के माता-पिता को उक्त बच्चे के संबंधित शिक्षा अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया। उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने के लिए उक्त बच्चे के माता-पिता को उक्त बच्चे के संबंधित शिक्षा अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया।


1. उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया।
2. उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया।
3. उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया।
4. उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया।
5. उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया।
6. उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया।
7. उक्त बच्चे को उक्त स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया।

उत्तराखण्ड शा.

- 8. विद्यार्थ्य का शैक्षणिक निर्धारित प्रयत्न/पठित्वको में रखा जायेगा।
- 9. उक्त प्रतीक/चिह्न सरकार के पूर्वानुमान के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन/प्रति विना नयेगा।

उक्त प्रतीक/चिह्न का पालन करना सरकार के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी कारण से यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतीक/चिह्न का पालन नहीं किया जा रहा है तो उक्त प्रतीक/चिह्न का उपयोग में किसी प्रकार की सूचना या शिक्षितता करती जाती है। तो उक्त प्रतीक/चिह्न का उपयोग-प्रकार वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,


(ओपीएसिंग) आयुक्त

चित्रकूट धाम मण्डल बोर्ड।

पु.सं.सं. 2591-90 / 2009-10 (ए.दिनीक-)

संज्ञा-विद्यार्थ्यिकों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. शिक्षा आयोग, शिक्षा, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
- 2. चित्रकूट धाम मण्डल, आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल बोर्ड।
- 3. विद्यार्थ्यिकों को।
- 4. शिक्षा आयोग (उ.प्र.) लखनऊ।
- 5. शिक्षा विभाग, शिक्षा, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
- 6. निदेशक, भारत मातृशाला, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
- 7. प्रमुख, शान्ति धाम स्कूल, कर्बी रोड, अतर्रा।
- 8. मार्ग फाइल।



(कृपाशंकर शर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
श्रीश्री/चित्रकूटधाम मण्डल



PRINCIPAL
SHANTI DHAM SR. SEC. SCHOOL
ATARRA



MANAGER
SHANTI DHAM SR. SEC. SCHOOL
ATARRA